

**दिसंबर तक पूरा होगा
राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर**



नईदिल्ली। अयोध्या में तीन मॉजिला राम मंदिर के भूतल का निर्माण दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा समारोह आगले साल 22 जनवरी को होगी। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि 15 से 24 जनवरी तक अनुष्ठान होगा और इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आने का समय तय हो गया है। वे 22 जनवरी को आएंगे और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। इसके लिए सभी को आर्मेंट्रित किया गया है। मंदिर ट्रस्ट ने 14 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद राम लला के अभिषेक की प्रक्रिया शुरू करने और राम लला की प्राण प्रतिष्ठा (प्रतिष्ठा) का 10 दिवसीय अनुष्ठान करने का निर्णय लिया है।

एक विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मोदी के मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि मंदिर में हर वर्ष रामनवमी के दिन दोपहर बारह बजे सूर्य की किरणें श्रीराम की मूर्ति पर पड़ें, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि गर्भ गृह में दो मूर्तियां होंगी एक चल और एक अचल। एक श्रीराम की बाल्यावस्था की ओर दूसरी रामलला की। उन्होंने कहा कि भगवान चार या पांच वर्ष की आयु के होंगे और मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच होगी। उन्होंने कहा कि प्राण-प्रतिष्ठा के बाद प्रतिदिन लगभग सवा लाख दर्शनार्थियों के अयोध्या पहुंचने का अनुमान है।



मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज शाम अपने रायपुर स्थित निवास में विराजे भगवान् श्री गणेश के पंडाल में पहुंचे। उन्होंने वहां भगवान् श्री गणेश की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

न्यायालय ने राहुल गांधी की याचिका के संदर्भ में राय मांगी

नईदिल्ली। बंबई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका में शामिल कानूनी मुद्दों पर मंगलवार को महाराष्ट्र के महाधिकरका से राय मांगी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले महेश श्रीश्रीमल ने 2018 में प्रधानमंत्री मोदी के बारे में राहुल गांधी की “कमांडर-इन-थीफ” टिप्पणी पर मानहानि की शिकायत दर्ज की। गांधी द्वारा निचली अदालत के समन को चुनौती देने के बाद, उच्च न्यायालय ने नवंबर 2021 में मजिस्ट्रेट को सुनवाई स्थगित करने का निर्देश दिया। तब से, उच्च न्यायालय के समक्ष गांधी की याचिका पर सुनवाई समय-समय पर स्थगित होती रही। मंगलवार को राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस.वी. कोटवाल ने कहा कि याचिका में “कानून के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न” उठाए गए हैं। उन्होंने कहा, “इसलिए, मैं महाराष्ट्र के महाधिकरका से इस मामले से जुड़े सभी कानूनी मुद्दों पर अदालत की सहायता करने का अनुरोध करना जरूरी समझता हूं।”

भाजपा की सूची पर विपक्ष का वार, शिवराज का पलटवार

भाजपा मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर चिंतित है : दिग्निवजय

नईदिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्गजय सिंह ने मंगलवार को कहा कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में तीन केंद्रीय मंत्रियों और कुछ सांसदों को मैदान में उतारने का भाजपा का कदम उसकी संभावनाओं को लेकर चिंता की भावना को दर्शाता है। सिंह ने दावा किया कि राज्य के लोगों ने भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का फैसला कर लिया है, जो विधायकों को खरीदकर बनाई गई थी। उन्होंने कहा, लोग बहुत गुस्से में हैं और वे इस बार मध्य प्रदेश में बहुमत वाली कांग्रेस सरकार बनाने के लिए वोट करेंगे। सिंह कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में भाग लेने के लिए ओरछा में थे। जब उनसे भाजपा द्वारा तीन केंद्रीय मंत्रियों और चार अन्य सांसदों को टिकट देने के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा, “भाजपा आगामी चुनावों में डर महसूस कर रही है।” कांग्रेस की तुलना जांग लगे लोहे से करने संबंधी मोदी के बयान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, “कभी-कभी, उनके भाषण का स्तर इतना निम्न होता है कि इससे उनके पद से जड़ी गरिमा और मर्यादा कम हो जाती है।

जजों की नियुक्ति में देरी पर साप्रीम कोर्ट कहना चाहता था

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को न्यायाधीशों के स्थानांतरण और नियुक्ति के संबंध कॉलेजियम के प्रस्तावों को संसाधित करने और अधिसूचित करने में केंद्र की देरी के खिलाफ एक याचिक पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने उच्च न्यायालयों और व्यवस्थापनाम न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में देरी को चिह्नित किया। न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि 26 न्यायाधीशों का स्थानांतरण और यहां तक ??कि एक संवेदनशील उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी बित है। न्यायमूर्ति कौल ने नियुक्ति के बैकलॉग की चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नवंबर 2022 से उच्च न्यायालयों द्वारा 70 नाम भेजे गए हैं, लेकिन हम तक नहीं पहुंचे हैं। जस्टिस कौल ने कहा कि इस मुद्दे को उठा रहा हूं क्योंकि रिकियां एक डांग मुद्दा है। पिछले सात महीनों से हमें कोई नाम नहीं मिला है। सिफारिशों की जाती हैं, और फिर हमें नियुक्त नहीं किया जाता है।

भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को पड़ा दिल का दौरा

ਬਿਖਰਾ ਵਿਪਕ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏਗਾ ਮਾਜ਼ਪਾ ਕੋ ਚੁਨੌਤੀ

दिया है कि भाजपा के खिलाफ़

जुनप फुटार बुक
2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को तीन सवालों का जवाब तलाशना है। क्या वे उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास दिला पाएंगे कि विपक्षी गठजोड़ भाजपा का विकल्प राष्ट्रीय स्तर पर दे सकता है? दूसरे, क्या वे एक बार फिर लोकसभा चुनाव के संदर्भ में पिछड़े वर्ग की एकता का वैसा ही गुलदस्ता पेश कर पाएंगे जो उन्होंने विधानसभा चुनाव में किया था? तीसरे, उन्हें यह पूर्वनुमान भी लगाना है कि मायावती का रुख क्या होता है। जाहिर है कि अगर मायावती ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो केवल कांग्रेस से गठजोड़ के दम पर उनके लिए भाजपा को रोकना पर्याप्त नहीं होगा। अतिविदेशी समर्त ने उन्होंने



यह अलग बात है कि अपने सबसे ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन और सीटों की सम्पानजनक संख्या के बावजूद वह सरकार बनाने से काफी दूर रह गई। सपा ने अपने तीन दशक लंबे बजूद में और भी कई चुनाव लड़े हैं। 2022 के आंकड़े जावादी पार्टी के आज तक के सर्वश्रेष्ठ रिश्त की विंडबनापूर्ण कहानी कहते हैं। 06 प्रतिशत वोटों के समर्थन की सामाजिक ना पर यादव और मुसलमान वोटों का धारण धर्वीकरण बेतहाशा हावी दिखता कुर्मा-कोइरी और अन्य पिछड़ी जातियों के सम्पानजनक वोट मिलते हुए दिखते हैं। स्पष्ट है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में यह पहला विधानसभा चुनाव रणनीतिक से अंशतः सफल होते हुए भी लक्ष्य से बहुत दूर (सिर्फ 111 सीटें) रह गया। अखिलेश ने पिछड़ी जातियों का एक गुलदस्ता तैयार करने में कामयाबी हासिल की, और मुसलमान वोटों के भीतर मौजूद किसी भी तरह के हुलमुलपन को भी खत्म करके उनका सर्वांग समर्थन जीत लिया लेकिन वे भाजपा की राज्य सरकार से ब्राह्मण समुदाय की नाखुशी, सरकार द्वारा खुल कर चलाए जा रहे ठाकुरवाद, कोविड महामारी के दौरान हुई बदइंतजामी, किसान आंदोलन से बनी पश्चिमी उ.प्र. की नाराजगी और आवारा पशुओं से किसानों को होने वाली समस्याओं का कोई लाभ नहीं उठा पाए। सरकार के खिलाफ एक ठांकठाक किस्म की 'एंटीइनकम्बेंसी' थी जो इन सभी पहलुओं को मिला कर देखने पर सीएसडीएस-लोकनीति के चुनाव-उपरांत सर्वे में साफ दिखाई देती है।

